प्रेस नोट, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर, दिनांक 23.07.2021

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर द्वारा महिला संबंधी अपराध के संबंध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट महोदय के कुशल मार्ग दर्शन में व प्रभारी निरीक्षक जगत नारायन सिंह के नेतृत्व मे नाबालिग लड़की की बरामदगी हेतु उ0नि0 विजय कुमार यादव मय हमराह पुलिस टीम को लगाया गया था। उ0नि0 विजय कुमार मय हमराह का0 अवधेश कुमार, शेरनी दस्ता म0का0 रूबी त्रिपाठी, म0का0 सुनीता तिवारी के देखभाल क्षेत्र, शान्ति व्यवस्था, तलाश वांछित एवं रोकथाम जुर्म जरायम में मामूर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली कि आपके मुकदमें से संबंधित अभियुक्त व काल्पनिक लड़की चम्पा देवी पार्क के तिराहे पर खड़े है। इस सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 विजय कुमार यादव मय पुलिस टीम के उपरोक्त बताये गये स्थान पर पहुँचकर अभियुक्त को घेरघार कर पकड़ लिया गया एवं लड़की को म0का0 रूबी त्रिपाठी द्वारा अपने कब्जे में लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम अभिषेक चौहान पुत्र लाला चौहान निवासी इन्द्रानगर रसूलपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर बताया जिसके विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 295/2021 धारा 363/366/506 भादवि0 पंजीकृत है। अतः अभिषेक चौहान पुत्र लाला चौहान उपरोक्त को उसके जुर्म का बोध कराते हुए समय करीब 16.30 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। बरामद नाबालिग काल्पनिक लड़की को म0का0 साधना पाण्डेय को सुपुर्द कर मेडिकल परीक्षण हेतु भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

अभिषेक पुत्र लाल चौहान निवासी इन्द्रानगर रसूलपुर थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर उम्र 19 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 295/2021 धारा 363/366/506 भादवि थाना कैण्ट रामगढताल जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी/बरामद करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जगत नारायण सिंह थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 श्री विजय यादव थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर ।
3. का0 अवधेश कुमार थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।
4. म0का0 रूबी त्रिपाठी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।
5. म0का0 सुनीता तिवारी थाना रामगढताल जनपद गोरखपुर।